

प्रति,

कुलपति,
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर (म.प्र.)

विषय - मेनेजमेंट संकाय के संकायाध्यक्ष पद पर नियुक्ति ।

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 27 की उपधारा (4) के प्रथम परन्तुक के प्रावधानान्तर्गत कुलाधिपतिजी, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर के द्वारा डॉ. आशीष शर्मा, आचार्य, विश्वविद्यालय, प्रबंधन संस्थान, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर को दो वर्ष की कालावधि के लिए विश्वविद्यालय के मेनेजमेंट संकाय का संकायाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है ।

कुलाधिपति, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर के आदेशानुसार

सही/-
राज्यपाल के उप सचिव
मध्यप्रदेश


रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर



पृ0 क्रमांक/अका./2024/ 97
प्रतिलिपि सूचनार्थ अग्रेषित -

जबलपुर, दिनांक 13/3/2024

1. डॉ. आशीष शर्मा, आचार्य, विश्वविद्यालय, प्रबंधन संस्थान, रा0दु0वि0वि0, जबलपुर।
2. राज्यपाल के उप सचिव, मध्यप्रदेश राज भवन भोपाल 462 052
3. समस्त संकायाध्यक्ष, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर ।
4. समस्त विभागाध्यक्ष एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्यगण ।
5. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, जबलपुर संभाग, जबलपुर ।
6. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण/महाविद्यालयीयन विकास परिषद, रा0दु0वि0वि0, जबलपुर।
7. स्थानीय समाचार पत्रों के संपादकों को इस अनुरोध के साथ कि वे उक्त अधिसूचना को समाचार के रूप में प्रकाशित करें ।
8. प्रभारी कम्प्यूटर सेंटर से अनुरोध है कि इस अधिसूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें ।
9. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव जी के निज सहायक, रा0दु0वि0वि0, जबलपुर।


कुलसचिव,
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर